Toppersnotes
Unleash the topper in you

CGPSC

State Civil Services

Chhattisgarh Public Service Commission

(Prelims)

पेपर – 1 || भाग - 3

संविधान एवं लोक प्रशासन

SIERRA INNOVATIONS

Haryana Public Service Commission

PRELIMS

पेपर - 1 भाग - 3

संविधान एवं लोक प्रशासन

S.No.	Chapter Name	Page No.
1.	**भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ** • संविधान के कार्य • भारत के संविधान का विकास • संविधान सभा • संविधान सभा की समितियां • संविधान का प्रभाव में आना • संविधान सभा की आलोचना	1
2.	**प्रस्तावना** • प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द • संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना	7
3.	**संविधान की मुख्य विशेषताएं** • भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियां	9
4.	**संघ और उसके क्षेत्र** • संवैधानिक प्रावधान • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विकास	12
5.	**नागरिकता** • संवैधानिक प्रावधान • नागरिकता • नागरिकता अधिनियम 1955 • भारत के प्रवासी नागरिक • भारत में शरणार्थी • नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 • नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर • विदेशी न्यायाधिकरण	16
6.	**मौलिक अधिकार** • संवैधानिक प्रावधान • मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति • मौलिक अधिकारों की विशेषताएं • छह मौलिक अधिकार • रिट और उसके प्रकार • सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार • मार्शल लॉ और मौलिक अधिकार • संविधान के भाग III के बाहर के अधिकार • मौलिक अधिकारों के अपवाद • मौलिक अधिकारों का महत्व	25

7.	**राज्य के नीति निदेशक तत्व** • संवैधानिक प्रावधान • निदेशक सिद्धांतों की विशेषता • निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण • नए निदेशक तत्व • निदेशक तत्वों की उपयोगिता • राज्य नीति के निदेशक तत्व का कार्यान्वयन • संविधान के भाग IV के बाहर निदेशक तत्व • मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष	**44**
8.	**मौलिक कर्तव्य** • संवैधानिक प्रावधान • मौलिक कर्तव्य • मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं • मौलिक कर्तव्यों की आलोचना • मौलिक कर्तव्यों का महत्व • मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति की टिप्पणियां	**50**
9.	**संवैधानिक संशोधन** • संवैधानिक प्रावधान • संशोधन के प्रकार • संशोधन की प्रक्रिया • संविधान में संशोधन के ऐतिहासिक मामले	**52**
10.	**संविधान की मूल संरचना** • उद्भव • मूल संरचना के घटक	**54**
11.	**संसदीय प्रणाली** • संवैधानिक प्रावधान • संसदीय सरकार • संसदीय प्रणाली के गुण • संसदीय प्रणाली के दोष • भारतीय बनाम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का मॉडल	**58**
12.	**संघीय प्रणाली** • संघीय बनाम एकात्मक प्रणाली	**60**
13.	**केंद्र राज्य संबंध** • संवैधानिक प्रावधान • विधायी संबंध • प्रशासनिक संबंध • वित्तीय संबंध • केन्द्र-राज्य संबंधों में प्रवृत्तियाँ ○ प्रशासनिक सुधार आयोग ○ राजमन्नार समिति ○ पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र ○ सरकारिया आयोग ○ पुंछी आयोग	**63**
14.	**अंतर्राज्यीय संबंध** • संवैधानिक प्रावधान • अंतर्राज्यीय जल विवाद	**73**

	• परिषद • अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य	
15.	**आपातकालीन प्रावधान** • संवैधानिक प्रावधान • आपातकाल के प्रकार • आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना	**78**
16.	**राष्ट्रपति** • संवैधानिक प्रावधान • राष्ट्रपति का चुनाव • राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शपथ • राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्तें • राष्ट्रपति कार्यालय की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार • राष्ट्रपति कार्यालय का कार्यकाल • राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग • राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति • राष्ट्रपति की शक्तियाँ ○ कार्यकारी शक्तियाँ ○ विधायी शक्तियाँ ○ वित्तीय शक्तियाँ ○ न्यायिक शक्तियाँ ○ कूटनीतिक शक्तियाँ ○ सैन्य शक्तियाँ ○ आपातकालीन शक्तियाँ ○ राष्ट्रपति की वीटो शक्ति ○ राष्ट्रपति की अध्यादेशजारी करने की शक्ति ○ राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति ○ राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति	**82**
17.	**उपराष्ट्रपति (उपाध्यक्ष)** • संवैधानिक प्रावधान • चुनाव • योग्यता • शपथ • कार्यालय की शर्तें • परिलब्धियां • कार्यकाल • उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद • उपराष्ट्रपति की शक्तियां	**88**
18.	**प्रधानमंत्री** • संवैधानिक प्रावधान • शपथ • योग्यता • कार्यकाल • परिलब्धियां • प्रधानमंत्री की शक्तियां • राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध	**90**

19.	**केंद्रीय मंत्रिपरिषद** • संवैधानिक प्रावधान • संयोजन • मंत्री की नियुक्ति • मंत्रियों की शपथ • मंत्रियों का वेतन • मंत्रियों की जिम्मेदारी • कैबिनेट बनाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद • किचन कैबिनेट/आंतरिक कैबिनेट • छाया मंत्रिमंडल • कैबिनेट समितियां	**92**
20.	**संसद** • संवैधानिक प्रावधान • संसद की संरचना • संसद की सदस्यता • संसद के पीठासीन अधिकारी • संसद में नेता • संसद के सत्र • संसदीय कार्यवाही के उपकरण • संसद में विधायी प्रक्रिया • संसद में बजट • अनुदान • केंद्र सरकार के लिए निधियां • संसद की शक्तियां और कार्य • राज्यसभा की स्थिति • संसदीय विशेषाधिकार • संसद की संप्रभुता • संसदीय समितियाँ • संसदीय मंच • संसदीय समूह	**96**
21.	**राज्यपाल** • संवैधानिक प्रावधान • संवैधानिक स्थिति • राज्यपाल की नियुक्ति • योग्यता • कार्यालय की अवधि • राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें • वेतन • राज्यपाल की शक्तियां और कार्य	**126**
22.	**मुख्यमंत्री** • संवैधानिक प्रावधान • मुख्यमंत्री की नियुक्ति • शपथ • अवधि • वेतन और भत्ते	**130**

	• मुख्यमंत्री की शक्तियां • कार्य • राज्यपाल के साथ संबंध	
23.	**राज्यमंत्री परिषद** • संवैधानिक प्रावधान • मंत्री परिषद का गठन • नियुक्ति • शपथ • वेतन • मंत्रियों के उत्तर दायित्व • मंत्रियों का अधिकार • मंत्रिमंडल (कैबिनेट)	**132**
24.	**राज्य विधानमंडल** • संवैधानिक प्रावधान • संगठन • विधान परिषद • विधान सभा • राज्य विधानमंडल की सदस्यता • राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी • राज्य विधानसभा के सत्र • राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया • विधान परिषद की स्थिति • राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार	**134**
25.	**पंचायती राज** • संवैधानिक प्रावधान • पंचायती राज का विकास • 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम • 1996 का पेसा अधिनियम • पंचायती राज के वित्तीय स्रोत • पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी निष्पादन के कारण	**144**
26.	**नगर पालिका/निगम** • संवैधानिक प्रावधान • शहरी निकायों का विकास • 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम • शहरी सरकार के प्रकार • नगरपालिका कर्मी • निगम राजस्व • स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद	151
27.	**भारतीय न्यायिक प्रणाली** • सर्वोच्च न्यायालय • उच्च न्यायालय • अधीनस्थ न्यायालय • न्यायिक समीक्षा • न्यायिक सक्रियता • जनहित याचिका • न्यायाधिकरण	**157**

28.	**संवैधानिक निकाय** • भारत के महान्यायवादी • राज्य का महाधिवक्ता • भारत निर्वाचन आयोग • भारत का वित्त आयोग • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (SCs) • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (STs) • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBCs) • भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गो के लिए विशेष अधिकारी • भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) • राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) • संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग • वस्तु एवं सेवा कर परिषद	**174**
29.	**गैर-संवैधानिक निकाय** • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग • राज्य मानवाधिकार आयोग • केंद्रीय सतर्कता आयोग • केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) • राज्य सूचना आयोग • भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग • भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण • राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग • राष्ट्रीय महिला आयोग • अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग • लोकपाल और लोकायुक्त • नीति आयोग • राष्ट्रीय विकास परिषद	**190**
30.	**अन्य संवैधानिक आयाम** • सहकारी समितियां • राजभाषा • लोक सेवाएं • सरकार के अधिकार और दायित्व • हिन्दी भाषा में संविधान का आधिकारिक पाठ	**205**
31.	**निर्वाचन** • संवैधानिक प्रावधान • भारत में चुनाव के प्रकार • चुनाव की आवश्यकता • चुनाव का महत्व • राजनीतिक दल • विश्व में दलीय व्यवस्था • राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को मान्यता • क्षेत्रीय दल • गठबंधन सरकार • चुनाव कानून	215

	• 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 के प्रावधान • परिसीमन अधिनियम, 2002 • चुनाव सुधार	
लोक प्रशासन		
1.	**प्रशासन**	**230**
2.	**संगठन के सिधांत**	**265**
3.	**शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन**	**276**
4.	**नव लोक प्रबन्धन (NPM)**	**286**
5.	**प्रशासन के आधारभूत मूल्य**	**292**
6.	**प्रशासन पर नियंत्रण एवं विकास प्रशासन**	**297**
7.	**जिला प्रशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था**	**308**

प्रिय विद्यार्थी, टॉपर्सनोट्स चुनने के लिए धन्यवाद।

नोट्स में दिए गए QR कोड्स को स्कैन करने लिए टॉपर्स नोट्स ऐप डाउनलोड करे ।

ऐप डाउनलोड करने के लिए दिशा निर्देश देखे :-

ऐप इनस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से या गूगल लेंस से QR स्कैन करें ।

टॉपर्सनोट्स एग्जाम प्रिपरेशन ऐप

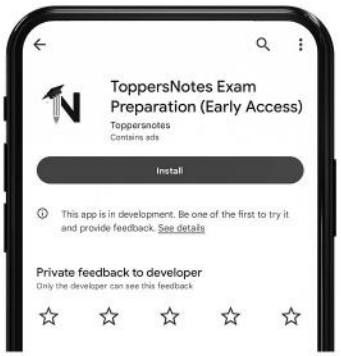

टॉपर्सनोट्स ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से ।

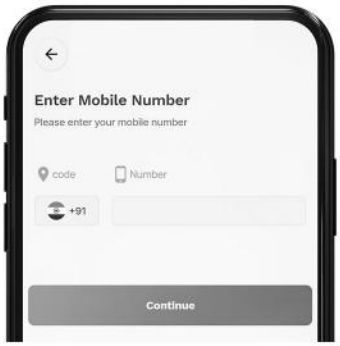

लॉग इन करने के लिए अपना **मोबाइल नंबर** दर्ज करें ।

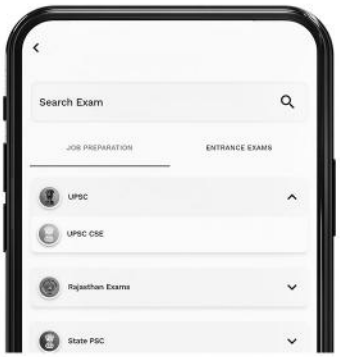

अपनी **परीक्षा श्रेणी** चुनें ।

सर्च बटन पर क्लिक करें ।

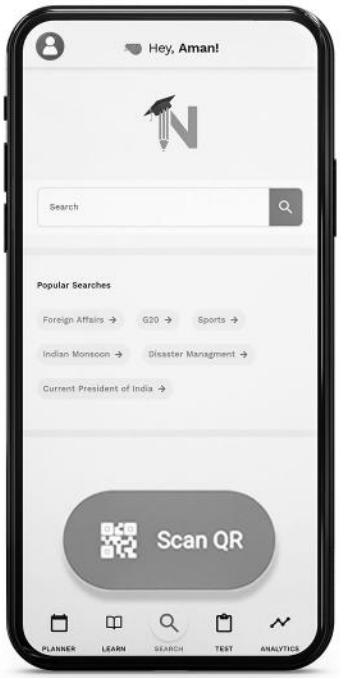

SCAN QR पर क्लिक करें ।

किताब के **QR कोड को स्कैन** करें ।

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए
hello@toppersnotes.com पर मेल करें
या **766 56 41 122** पर whatsapp करें ।

1 CHAPTER भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ

- संविधान **नियमों, उपनियमों** का एक ऐसा **लिखित दस्तावेज** है-
  - जिसके अनुसार **सरकार का संचालन** किया जाता है।
  - जो **देश की राजनीतिक व्यवस्था** का **बुनियादी ढाँचा** निर्धारित करता है।
  - जो **राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका** की स्थापना, उनकी **शक्तियों तथा दायित्वों** का सीमांकन एवं **राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन** करता है।

संविधान के कार्य

- **राजनीतिक समुदाय** की **सीमाओं** को **घोषित और परिभाषित** करना।
- राजनीतिक समुदाय की **प्रकृति और अधिकार** को **घोषित और परिभाषित** करना।
- एक **राष्ट्रीय समुदाय** की **पहचान और मूल्यों को व्यक्त** करना।
- नागरिकों के **अधिकारों और कर्तव्यों** की घोषणा करना और उन्हें **परिभाषित** करना।
- सरकार की **विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाएँ** स्थापित करना।
- **सरकार या उप-राज्य समुदायों** के विभिन्न स्तरों के बीच **शक्ति का वितरण** करना।
- राज्य की **आधिकारिक धार्मिक पहचान** घोषित करना|
- विशेष रूप से **सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों** के लिए राज्यों को प्रतिबद्ध करना

भारत के संविधान का विकास

भारत में कंपनी शासन (1773-1858)

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 *** कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया।**	• **बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी** को **बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन** • बंगाल प्रेसिडेंसी में **गवर्नर जनरल** व **चार सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद** की **स्थापना** • इस एक्ट के तहत **बंगाल** के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड **वारेन हेस्टिंगस** थे। • **बंगाल** के गवर्नर को **तीनों प्रेसीडेन्सियों** का **गवर्नर जनरल** कहा जाता था। • **भारत में केन्द्रीय प्रशासन** की नींव रखी। • **कलकत्ता** में एक **सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774)** की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे। • **भारत** में कंपनी के **राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों** के संबंध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए **कंपनी के निदेशक मंडल** को **आवश्यक कर** दिया।
संशोधन अधिनियम (बंदोबस्त कानून), 1781	• **1781** के संशोधन अधिनियम ने **सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र** से **गवर्नर जनरल** तथा **काउंसिल** को **मुक्त** करने के साथ ही **कंपनी के लोक सेवकों के द्वारा अपने कार्यकाल में संपन्न कार्यवाहियों के लिए मुक्त कर दिया गया।** • **कलकत्ता** के सभी **निवासियों** को **न्यायालय के अधिकार क्षेत्र** के **अंतर्गत कर** दिया गया और न्यायालय द्वारा हिन्दू व मुस्लिमों को उनके निजी कानूनों के हिसाब से मामलें तय करने की व्यवस्था की गई। • **न्यायालय** को **प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून** का प्रशासन करने का अधिकार था।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784	• **द्वैत शासन प्रणाली** की स्थापना की।
	  ○ कंपनी के **वाणिज्यिक मामलों** का प्रबंधन करने के लिए **निदेशक मंडल को अनुमति** दी|
	  ○ अपने **राजनीतिक मामलों** का प्रबंधन करने के लिए **नियंत्रण बोर्ड** नामक निकाय का गठन किया गया**।**
	• ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार तथा राजस्व गतिविधियों के पर्यवेक्षण की शक्ति नियंत्रण बोर्ड को प्रदान की गई।

चार्टर अधिनियम, 1813	• भारत में **कंपनी** के **व्यापार एकाधिकार को समाप्त** किया गया। ○ **अपवाद-** चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया। • **कर लगाने** के लिए **स्थानीय सरकारो** को **अधिकृत** किया।

चार्टर अधिनियम, 1833	• **बंगाल का गवर्नर जनरल → भारत का गवर्नर जनरल (GGI) बना।**
	• भारत के **प्रथम गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिक)।**
	  ○ सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित किया गया।
	  ○ संपूर्ण ब्रिटिश भारत की अनन्य विधायी शक्तियाँ।
	• कंपनी → विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी।

चार्टर अधिनियम, 1853	• **भारत का गवर्नर जनरल (GGI)** की परिषद के **विधायी और प्रशासनिक** कार्यों का पृथक्करण किया गया। • गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद गठित करके उसे भारतीय विधान परिषद् नाम दिया गया जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसने मिनी संसद की तरह कार्य किया। • भारतीयों के लिए भी **भारतीय सिविल सेवाओं** के लिए **खुली प्रतियोगिता प्रणाली की व्यवस्था की गई, और इसके लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई।** • भारतीय (केंद्रीय) **विधान परिषद्** में **स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ** किया। (6 सदस्यों में से 4 मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जायेंगें।)

भारत में क्राउन रूल (1858 से 1947)

भारत सरकार अधिनियम, 1858	• ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। • **इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम** भी कहा जाता है। • **भारत का गवर्नर जनरल (GGI)** के पद को **भारत का वायसराय पदनाम दिया गया (प्रथम वायसराय - लॉर्ड कैनिंग)।** ○ **भारत का गवर्नर जनरल (GGI)-** भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि। • **बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स** को समाप्त करके द्वैध प्रणाली को समाप्त किया गया। • **भारत** के **राज्य सचिव**, पद का सृजन करके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। • **भारत सचिव** की सहायता के लिए **15 सदस्यीय भारतीय परिषद** का गठन किया गया।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861	• वायसराय द्वारा विधान परिषद में भारतीयों को गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए व्यवस्था की गई। (लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव) • **बंबई** और **मद्रास प्रेसीडेंसी** को **विधायी शक्तियाँ** देकर **विकेंद्रीकरण** की **शुरुआत** की गई। • बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए **नई विधान परिषदों** की **स्थापना** की। • वायसराय द्वारा परिषद के लिए नियम और आदेश बनाए जाएँगे | ○ लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियों प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। • वायसराय को आपातकाल में 6 महीने की वैधता के साथ अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892	• **केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों** में **गैर-सरकारी सदस्यों** की **संख्या** में **वृद्धि** की गई। • विधान परिषदें **बजट** पर **चर्चा** कर सकती हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया | • **केंद्रीय विधान परिषद् और बंगाल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स** में **गैर सरकारी सदस्यों** के **नामांकन** के लिए **वायसराय की शक्तियों** का **प्रावधान |** • इसके अलावा **प्रांतीय विधान परिषदों** में **गवर्नर** को **जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स** की सिफ़ारिशो पर **गैर-सरकारी सदस्यों** को **नियुक्त** करने की शक्ति थी |
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909	• **मॉर्ले-मिंटो सुधार** भी कहा जाता है। • केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या एक समान नहीं थी।

	• दोनों परिषदों के सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते थे। • वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ किसी भारतीय को संबद्ध होने का प्रावधान। (**सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा** कानून सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय) • मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान।
भारत सरकार अधिनियम, 1919	• **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार** भी कहा जाता है। • **केंद्रीय** और **प्रांतीय विषयों** का पृथक्करण किया गया। • **हस्तांतरित प्रांतीय विषय-** विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा शासित| • **आरक्षित प्रांतीय विषय-** गवर्नर द्वारा अपनी कार्यपालिका परिषद् की सहायता से शासित। • देश में **द्विसदनीय व्यवस्था** और **प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था** की शुरुआत की। • वायसराय की **कार्यकारी परिषद** के **6** में से **3 सदस्यों** का **भारतीय** होना **अनिवार्य** था । • सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी **पृथक निर्वाचक मंडल** की व्यवस्था। • **संपत्ति, कर** या **शिक्षा** के आधार पर लोगों को **मताधिकार** प्रदान करना। • लंदन में भारत के **उच्चायुक्त का कार्यालय** बनाया गया। • **सिविल सेवकों** की **भर्ती** के लिए **एक केंद्रीय सेवा आयोग** की स्थापना। • प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935	• अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें राज्य और रियासतें एक इकाई के रूप में थी।
	• शक्तियों का तीन सूचियों में पृथक्करण किया गया:
	  ○ संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषय)
	  ○ राज्य सूची (राज्य के लिए, 54 विषय)
	  ○ समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय)।
	• अवशिष्ट शक्तियाँ: वायसराय में निहित किया गया।
	• प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई।
	  ○ प्रांतों में उत्तरदायी जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की गई।
	• केंद्र में द्वैध शासन को अपनाकर संघीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था।
	• 11 में से 6 प्रांतों (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई।
	• दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाकर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार प्रदान किया गया।
	• भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया।
	• भारत की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
	• संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना ।
	• 1937 में संघीय-न्यायालय की स्थापना की गई।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947	• माउंटबेटन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। • भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। • 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। • ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया। • संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों का संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दिया गया | • भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सभी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया।

	• सिविल सेवकों की नियुक्ति तथा पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। • इंग्लैंड के राजा से 'भारत के सम्राट' की उपाधि को समाप्त कर दिया गया । • गवर्नर जनरल को विधेयकों को स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया लेकिन किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। • भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।

संविधान सभा

भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान-

- कुल सदस्य = 389 आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत।
  - 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गईं।
    - 11 गवर्नर्स के प्रांतों से 292 सदस्य
    - 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से 4 सदस्य
  - देसी रियासतों को 93 सीटें उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की गई ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों, सिखों और सामान्य (अन्य) के बीच विभाजित किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव → एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन - रियासतों के प्रमुखों द्वारा।
- सदस्यों का चयन - अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा।
- जनता की भावनाओं को प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त, 1946 में हुआ।
  - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटों पर विजयी,
  - मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजयी,
  - 15 सीटों पर निर्दलीय प्रतिनिधियों विजयी।
- रियासतों ने स्वयं को संविधान सभा से पृथक रखने का निर्णय लिया इसलिए उनकी सीटें नहीं भरी गई |
- संविधान सभा में समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन तत्कालीन प्रमुख हस्तियों में से महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- 28 अप्रैल, 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए।
- 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद अधिकांश रियासतों ने विधानसभा में प्रवेश किया, बाद में भारतीय अधिराज्य से मुस्लिम लीग भी संविधान सभा में शामिल हुई।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- पहली बैठक- 9 दिसंबर, 1946, केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया।
- मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की माँग की।
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (सबसे वरिष्ठ सदस्य) संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए।
- एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी के रूप में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।

उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया । जिसे 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।
- **महत्वपूर्ण प्रावधान-**
  - भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने हेतु संविधान निर्माण की घोषणा।
  - भारत, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा जिनकी संविधान सभा द्वारा निर्धारित निश्चित सीमाएँ होगी तथा जिनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी और संघ में निहित सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों के अलावा सारी शक्तियां इन राज्यों में निहित होंगी।
  - संप्रभु स्वतंत्र भारत को सभी शक्तियाँ और अधिकार भारत की जनता से प्राप्त होंगे।
  - भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समता और कानून के समक्ष विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, संघ और कार्य की स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
  - न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणराज्य के क्षेत्र और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों की अखंडता बनाए रखी जाएगी।
  - इस देश को दुनिया में अधिकार और सम्मानित स्थान दिलाया जायेगा साथ ही विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान दिया जायेगा।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा परिवर्तन

- संविधान सभा → संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया |
- संविधान सभा: एक विधायी निकाय बन गया। जो कि `संविधान बनाने और देश के लिए सामान्य कानून बनाने के लिए जिम्मेदार।
  - संविधान सभा के रूप में → डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में।
  - एक विधायिका के रूप में → जी.वी. मावलंकर की अध्यक्षता में (26 नवंबर, 1949 तक)।
- मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो गई।
  - संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटाकर 299 रह गई।

संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य-

- मई, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की।
- 22 जुलाई, 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
- 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया।
- 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
- 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया लेकिन 26 जनवरी, 1950 से 1951-52 में पहले आम चुनाव होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य जारी रखा।

संविधान सभा की समितियाँ

	समिति	अध्यक्षता
प्रमुख समितियाँ	संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
	संघीय संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
	प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों व जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति – 5 उप समितियाँ	सरदार पटेल
	(i) मौलिक अधिकार उप-समिति	जे. बी. कृपलानी
	(ii) अल्पसंख्यक उप समिति	एच. सी. मुखर्जी
	(iii) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र (असम के अलावा) और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति	गोपीनाथ बरदोई
	(iv) बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा) उप-समिति	ए. वी. ठक्करी
	(v) उत्तर-पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप-समिति	
	राज्यों के लिए समिति (राज्यों के समझौता करने के लिए)	जवाहर लाल नेहरु
	प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
लघु समितियाँ	वित्त और कर्मचारी समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	प्रत्यायक समिति	अलादि कृष्णास्वामी अय्यर
	सदन समिति	बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
	कार्य संचालन समिति	डॉ. के.एम. मुंशी
	संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति	जी.वी. मावलंकर
	सर्वोच्च न्यायालय के लिये तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी (सभा के सदस्य नहीं थे)
	राष्ट्र ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति	बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
	संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति	नलिनी रंजन सरकार (सभा के सदस्य नहीं थे)
	भाषाई प्रांत आयोग	एस. के. डार (सभा के सदस्य नहीं थे)

	प्रारूप संविधान की जाँच के लिए विशेष समिति	जवाहरलाल नेहरू
	नागरिकता पर तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी (जो सभा के सदस्य नहीं थे)
	प्रेस दीर्घा समिति	उषा नाथ सेन

प्रारूप समिति-

- 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था।
- समिति सदस्य : 7
  - अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।
  - एन गोपालस्वामी अय्यंगर।
  - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
  - डॉ. के.एम. मुंशी।
  - सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
  - एन. माधव राव (बी. एल. मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर उनकी जगह ली)।
  - टी. टी. कृष्णमाचारी (1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली)।
- फरवरी, 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया।
- अक्टूबर, 1948 में दूसरा प्रारूप हुआ।

संविधान का प्रभाव में आना

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया।
- संविधान पहली बार पढ़ा गया, और पाँच दिन तक आम चर्चा हुई।
- संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ।
- तीसरी बार 14 नवंबर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
- 26 नवंबर, 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया।
- 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए प्रारूप संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ निहित थी।

संविधान का प्रवर्तन-

- 395 अनुच्छेद |
- 8 अनुसूचियाँ।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित। नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक 26 नवंबर, 1949 को लागू। तथा शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 (गणतन्त्र दिवस) को लागू हुए।
- संविधान को अपनाने के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए।
- एबोलिशन ऑफ़ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट (1949) लागू रहा।

संविधान सभा की आलोचना-

- प्रतिनिधि निकाय नहीं - सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश प्रतिबिंबित नहीं हुआ।
- एक संप्रभु निकाय नहीं - क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी।
- अमेरिकी संविधान (केवल 4 महीने) की तुलना में संविधान बनाने में अधिक समय लगा|
- कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
- वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व रहा।
- हिंदुओं का वर्चस्व रहा।

- एस .एन. मुखर्जी - संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्टमैन)।
- प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा - सुलेखक (कैलिग्राफर) - संविधान के मूल शब्दों को प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया।
- नंद लाल बोस और बिउहर राममनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया।
- हिंदी संस्करण की सुलेख = वसंत कृष्ण वैद्य।
  - सजाया और प्रकाशित = नंद लाल बोस।
- हाथी- संविधान सभा की प्रतीक मुहर।
- मूल रूप से भारत के संविधान में हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया था।
  - हिंदी प्रारूप- 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया जिसने संविधान के अंतिम भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394-क जोड़ा गया।

2
CHAPTER

प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यब्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवतृ दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

- संविधान का परिचय या प्रस्तावना,संविधान के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- संविधान के आधार के रूप में बुनियादी दर्शन और मौलिक मूल्यों का प्रतीक है।
- संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है।
- शेष संविधान के लागू होने के बाद अधिनियमित किया गया था।
- न ही विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही कोई निषेधक।
- गैर-न्यायसंगत कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं।
- बुनियादी ढाँचे को बदले बिना संशोधित किया जा सकता है।

प्रस्तावना के मूल तत्व

- संविधान के अधिकार का स्त्रोत → भारत के लोग।
- भारत की प्रकृति भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है।
- संविधान के उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
- संविधान को अपनाने की तिथि - यह तारीख 26 नवंबर, 1949 है।

प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द

- **संप्रभुता -** पूर्ण संप्रभु सरकार वह है जो किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होती है तथा अपने आंतरिक या बाहरी मामलों के निष्पादन में स्वतंत्र है। संप्रभु हुए बिना किसी देश का अपना संविधान नहीं हो सकता। भारत एक संप्रभु देश है। यह किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है।
- **समाजवादी -** मूल संविधान का हिस्सा नहीं।
  - 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
  - आर्थिक नियोजन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है।
  - असमानताओं को दूर करने, सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आदर्शों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।
- **धर्मनिरपेक्षता -** 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
  - भारत न तो धार्मिक है, न अधार्मिक है और न ही धर्म विरोधी है।
  - कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं- राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है।
- **लोकतांत्रिक गणराज्य -** सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है।
  - लोकतांत्रिक प्रावधान - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार और जिम्मेदार सरकार।
  - गणतंत्र - राज्य का निर्वाचित प्रमुख (राष्ट्रपति → प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) ब्रिटेन जैसा वंशानुगत शासक नहीं।
- **न्याय -** लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, निर्णय लेने में भागीदारी और मनुष्य के रूप में सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकारों के संदर्भ में वे क्या हकदार हैं।
  - रूसी क्रांति (1917) से न्याय के तत्वों को लिया गया है।
  - न्याय के तीन आयाम- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
    - **सामाजिक न्याय -** जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेद के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।

- **आर्थिक न्याय** - आर्थिक कारकों पर गैर-भेदभाव।

  सामाजिक न्याय + आर्थिक न्याय = 'वितरणात्मक न्याय'

- **राजनीतिक न्याय** - सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुँच और सरकार तक अपनी बात रखने का अधिकार ।

- **स्वतंत्रता** - विचार और अभिव्यक्ति की व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना।
  - फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799) से लिया गया।
- **समानता** - समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान।
  - समानता के तीन आयाम- नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।
- **बंधुत्व** - भाईचारे की भावना, एकल नागरिकता की व्यवस्था और अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) द्वारा बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है।

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना

बेरुबारी संघ बनाम अज्ञात मामला, 1960	केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973	केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया मामले , 1995
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है' लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय के न्यायालय में सीधे लागू करने योग्य नहीं है।

लोक प्रशासन

1 CHAPTER प्रशासन

प्रशासन

- प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के शब्द Ad-Ministiare से मिलकर बना है ।
- जिसमें Ministiare का अभिप्राय कार्यों को व्यवस्थित करना, देखभाल करना और सेवा प्रदान करने से है ।
- किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन कहा जाता है ।

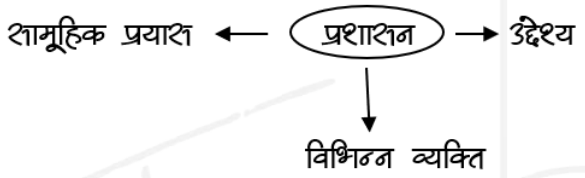

लूथर गुलिक के अनुसार :-

"प्रशासन का सम्बन्ध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है ।"

पर्सी मैकक्वीन के अनुसार – केन्द्रीय अथवा स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रशासन ही लोक प्रशासन है ।

वुडरो विल्सन के अनुसार – लोक – प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है ।

एल.डी. व्हाईट के अनुसार – लोक – प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते है, जिनका उद्देश्य उपर्युक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है ।

प्रशासन की विशेषताएँ :-

1. प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है ।
2. प्रशासन के दो प्रकार है –
   I. लोक प्रशासन
   II. निजी प्रशासन
3. प्रशासन में कुछ निश्चित उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सामूहिक प्रयास किया जाता है ।
4. प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रायः बडे और विशाल संगठनों के लिए किया जाता है ।
5. प्रशासन के उद्देश्य व इसमें काम करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य में भिन्नता हो सकती है।

डोनहम के अनुसार :-

"यदि आधुनिक मानव सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन की विफलता के कारण होगा ।"

प्रशासन के दृष्टिकोण :-

1. प्रबन्धकीय दृष्टिकोण :-
   - इस दृष्टिकोण का मानना है कि प्रशासन में POSDCORB (Planning, Organising, Staffing, Directing, Co-ordination, Reporting, Budgeting) से सम्बन्धित गतिविधियाँ संपन्न करने वाले उच्च अधिकारी प्रशासन का भाग होते है ।

     अर्थात्

   - संगठन में केवल उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले व उनका क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति ही प्रशासन का भाग है ।

     नोट – वर्ष 1971 में इसमें E-Evaluation जोडा गया ।

2. एकीकृत दृष्टिकोण :-
   - इस दृष्टिकोण का मानना है कि संगठन में सभी कार्य व प्रक्रिया चाहे वे किसी भी स्तर के कर्मचारी द्वारा संपन्न की जाए, प्रशासन का भाग है ।

अर्थात्

- उच्च पदाधिकारी, तकनीकी कर्मचारी, लिपिकीय वर्ग व सहायक कर्मचारी भी प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है ।
- एकीकृत दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टिकोण माना जाता है ।

लोक-प्रशासन

- लोक प्रशासन, प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत रहकर राजनीतिक निर्णयों को कार्यरूप में लागू करता है ।
- एपलबी के अनुसार – "नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है ।"
- अल्बर्ट साइमन के अनुसार – "साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से है ।"
- फिफनर के अनुसार – "सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्स-रे मशीन का संचालन हो या टकसाल में सिक्के डालना हो ।"

प्रशासन	लोक-प्रशासन
1. प्रशासन व्यापक दृष्टिकोण है ।	1. यह संकुचित दृष्टिकोण है क्योंकि यह प्रशासन का भाग है । तथा सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है।
2. प्रशासन एक क्रिया-प्रक्रिया दोनों है ।	2. लोक प्रशासन एक तंत्र है जिसके द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य संपन्न किए जाते है।
3. इसका सम्बन्ध विभिन्न लोगों से कार्य करवाने से है ।	3. यह दोहरे स्वरूप वाला है – विषय तंत्र
4. किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन है ।	4. लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है ।

शासन	लोक – प्रशासन
1. शासन का सम्बन्ध सरकार से होता है ।	1. लोक प्रशासन का सम्बन्ध नौकरशाही से होता है ।
2. इसका संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है ।	2. इसका संचालन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
3. यह निर्देश संविधान से प्राप्त करता है ।	3. लोक प्रशासन सरकार के निर्देशन पर कार्य करता है।
4. यह जनता के प्रति उत्तरदायी है अतः इन्हें जनसेवक कहा जाता है ।	4. ये सरकार के प्रति उत्तरदायी है अतः इन्हें सरकारी सेवक कहा जाता है ।
5. शासन का मुख्य कार्य नीति निर्माण है ।	5. लोक प्रशासन नीतियों का क्रियान्वयन करता है ।

प्रबन्ध

- प्रशासन या संगठन का वह भाग जो संसाधनों के समुचित उपयोग, उनमें समन्वय तथा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में उनका संचालन करना सुनिश्चित करवाता है ।
- प्रबन्ध द्वारा प्रायः लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित POSDCORB से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न किए जाते है ।

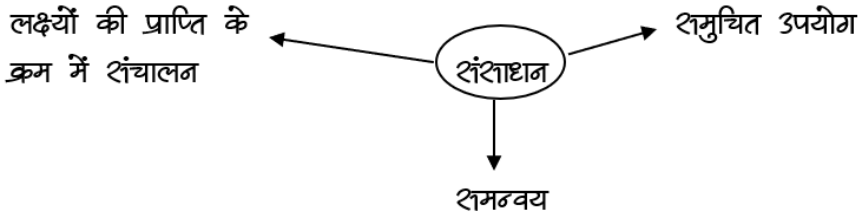

प्रशासन व प्रबन्ध में अन्तर :- इनके मध्य सर्वप्रथम अन्तर ऑलिवर शेल्डन द्वारा सन् 1923 में 'फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेन्ट' पुस्तक में किया गया ।

प्रशासन	प्रबन्ध
1. प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है ।	1. प्रबन्ध प्रशासन का ही अंग है अतः यह संकुचित अवधारणा है ।
2. प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन के लक्ष्यों को निर्धारित करना है।	2. प्रबन्ध इन निर्धारित लक्ष्यों (उक्त) को प्राप्त करने का प्रयास करता है ।
3. प्रशासन संगठन में प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है।	3. प्रबन्ध संगठन में प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित करता है ।

प्रशासन व प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न विचारधाराएँ

- यह सर्वमान्य विचारधारा है जिसका मानना है कि प्रशासन व्यापक है तथा प्रबन्धा इसमें सम्मिलित है ।
- थुल्ज, रॉबिन्सन ने इसका समर्थन किया
- इस विचारधारा का मानना है कि प्रबन्धा एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रशासन सम्मिलित है ।
- जे.पी. डेनियल, जेम्स लुण्डी
- इस विचारधारा का मानना है कि प्रबंधा व प्रशासन एक-दूसरे के पर्यायवाची है तथा इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का अंतर नही है ।
- फॉलेट, उर्विक, M.P. शर्मा

लोक प्रशासन की प्रकृति

1. **प्रबन्धकीय व एकीकृत** :-

प्रबन्धकीय :-

- इस दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तरीय प्रशासकीय निर्णय लेने, नीतियों व कानूनों के व्यावहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने से है ।

अर्थात्

संगठन में उत्तरदायी व उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति तथा उनके कार्य लोक प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट करते है ।

- इसके समर्थक :- साइमन, स्मिथबर्न है।

एकीकृत :-

- संगठन में उच्च स्तर से लेकर निम्नतम स्तर तक कार्यरत समस्त कार्मिकों की क्रियाओं को यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन की प्रकृति में सम्मिलित करता है ।
- समर्थक : विलोबी, व्हाईट है ।

2. **लोक प्रशासन विज्ञान या कला के रूप में :-** समर्थक - विलोबी, विल्सन, मर्सन

लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में :

(a). लोक प्रशासन में विज्ञान की भाँति सर्वमान्य सिद्धान्त व नियम है । ये सिद्धान्त सार्वभौमिक है ।
उदाहरण- पदसोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा (motivation), केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण आदि ।

(b). लोक प्रशासन में विज्ञान की भाँति विभिन्न वैज्ञानिक विधियाँ प्रयुक्त की जाती है ।
उदाहरण - CPM (Critical Path Method) , PERT इत्यादि ।

(c). लोक प्रशासन विज्ञान की भाँति मूल्य मुक्त है ।

(d). लोक प्रशासन में इसके सिद्धान्तों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है।

(e). लोक प्रशासन के विशेषज्ञ आज चिकित्सक, इंजीनियर व मनोवैज्ञानिक की भाँति परामर्शदाता की भूमिका निभाने लगे है ।

(f). लोक प्रशासन के प्रमुख ग्रन्थ अर्थशास्त्र, रिपब्लिक, आईन-ए-अकबरी इस विषय को प्रामाणिक व वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में सहायक है ।

लोक प्रशासन कला के रूप में :-

समर्थक - महादेव प्रसाद शर्मा (भारत में लोक प्रशासन के पिता), टीड

(a). प्रशासक बनने के लिए विशिष्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिभा का धनी व्यक्ति ही अच्छा कलाकार हो सकता है ।

(b). प्रशासन कला की भाँति व्यक्तित्व पर निर्भर करता है ।

(c). प्रत्येक कलाकार में सृजनात्मक क्षमता होती है ठीक उसी प्रकार एक प्रशासक भी सृजनात्मक क्षमता के माध्यम से नवाचार करता है ।

(d). प्रशासन कला की भाँति देशकाल के अनुसार परिवर्तित होता है ।

(e). प्रत्येक कला की अभिव्यक्ति हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है उसी प्रकार एक प्रशासक का माध्यम संगठन, संगठन की नीतियाँ एवं संगठन का परिवेश है ।

(f). कलाकार बनने हेतु प्रशिक्षण व अभ्यास की आवश्यकता होती है इसी प्रकार प्रशासन में प्रशासनिक क्षमता / कौशल/दक्षता के विकास हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ।

(g). जिस प्रकार कला का विकास धीरे-धीरे हुआ है उसी प्रकार प्रशासन का विकास भी निरन्तर हो रहा है ।

निष्कर्ष :- कहा जा सकता है कि - लोक प्रशासन न तो कला है न विज्ञान है बल्कि यह सामाजिक विज्ञान का विकसित होता विषय है ।

लोक प्रशासन का क्षेत्र :-

1. **संकुचित दृष्टिकोण :-**

- इस दृष्टिकोण का मानना है कि प्रशासन का सम्बन्ध केवल कार्यपालिका से है जो विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों के क्रियान्वयन करने वाला तन्त्र है ।

- इस दृष्टिकोण के अनुसार विधायिका व न्यायपालिका लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित नही होते है ।
- समर्थक = साइमन, स्मिथबर्न

2. <u>व्यापक दृष्टिकोण</u> :–

- इस दृष्टिकोण की मान्यता है कि लोक प्रशासन का सम्बन्ध शासन के तीनों अंगो व्यवस्थापिका कार्यपालिका व न्यायपालिका से है ।
- लोक प्रशासन व्यवस्थापिका को विभिन्न आँकडे उपलब्ध करवाने के साथ सदन संचालन में सहायता करता है ।
- कार्यपालिका को लोक प्रशासन नीति – निर्माण और नीति–क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है।
- प्रशासन न्यायपालिका के विभिन्न आदेशों की क्रियान्विति, विभिन्न गवाह और साक्ष्य लाना आदि लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आते है ।

3. <u>POSDCORB दृष्टिकोण</u> :–

- इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया जिसके अनुसार –

P – Planning = संसाधनों का सदुपयोग विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा का निर्धारण करना ।

O – Organising = Man Method Material Machine को संगठित करना ।

S – Staffing = कार्मिकों की भर्ती, वेतन प्रशिक्षण, पदोन्नति सम्बन्धी कार्य करना ।

D – Directing = उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को निर्देश व मार्गदर्शन प्रदान करना ।

Co – Co-ordination = संगठन में विभिन्न व्यक्तियों व संगठन की विभिन्न इकाईयों के मध्य समन्वय स्थापित करना ।

R – Reporting = प्रत्येक अधीनस्थ अपने कार्यो की प्रगति, बाधाओं से उच्च अधिकारी को अवगत कराए ।

B – Budgeting = संगठन की आय–व्यय का ब्यौरा, वित्त प्रशासन में O_2 का कार्य

E – Evaluation = यह शब्द वर्ष 1971 में जोडा गया था ।

<u>आलोचना</u> :–

1. प्रशासन का मुख्य कार्य नीति निर्माण, मूल्यांकन, जनसम्पर्क करना है जो कि पूरे POSDCORB सिद्धान्त से गायब है ।
2. जनकल्याण जो लोक प्रशासन का दर्शन है, POSDCORB सिद्धान्त में कही भी दिखाई नहीं देता है ।
3. POSDCORB मानव सम्बन्ध उपागम का विरोधी है जिसमें मानवीय सम्बन्धों को स्थान नहीं दिया है ।
4. यह सिद्धान्त लोक प्रशासन की केवल प्रबन्धकीय नीति की व्याख्या करता है ।

4. पाठ्य विषयवस्तु दृष्टिकोण :-

- लेविस मेरियम समर्थित इस दृष्टिकोण का मानना है कि POSDCORB से लोक प्रशासन नहीं चलता है बल्कि यह सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं जैसे- चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, समाज कल्याण जैसी विषय सामग्री पर निर्भर है ।
- मेरियम का मानना है कि :- ''यह कैंची के दो फलकों के रूप में है जिसमें एक फलक POSDCORB से युक्त ज्ञान है तो दूसरा फलक विषय का ज्ञान है, अतः दोनों फलक धारदार होने चाहिए ।''

5. लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण :-

- इस दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन लोक नीति क्रियान्वयन के साथ-साथ लोक नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।
- समर्थक - ड्रोर, लासवेल

6. लोक निजी प्रशासन दृष्टिकोण :-

इसमें 2 विचारधाराएँ हैं

लोक - निजी में अन्तर नहीं है ।	लोक -निजी में अन्तर है ।
समर्थक - फॉलेट	समर्थक - साइमन
- गुलिक	- एपलबी
- उर्विक	

7. आधुनिक दृष्टिकोण :-

- इसके अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है ।

अर्थात्

- जिस प्रकार राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होती है उसी प्रकार लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र भी बढ़ता जाता है ।

विभिन्न मान्यताएँ :-

1. राजनीति-प्रशासन द्विभाजन सिद्धान्त को अस्वीकृत करता है ।
2. लोक व निजी प्रशासन समान है ।
3. आधुनिक दृष्टिकोण प्रशासन में 3 E [Economy (मितव्ययिता), Effectiveness (प्रभावशीलता), Efficiency (कार्यकुशलता)] अवधारणा पर बल देता है ।

लोक प्रशासन का महत्व :-

1. सरकार के उद्देश्य प्राप्त करने का साधन :- राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन ही एकमात्र माध्यम रहा है क्योंकि यह सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों हेतु बनाई गई नीतियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है ।
2. जनकल्याण का माध्यम :-

- भारत में लोक प्रशासन संविधान के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से समाज के दीन-हीन व निर्योग्यता युक्त व्यक्तियों हेतु राज्य द्वारा विशेष प्रयासों के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाता है ।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, आवास आदि समस्त मूलभूत मानवीय सेवाओं का संचालन प्रशासन के माध्यम से होता है, अतः कहा

जाता है – "प्रशासन जन्म से लेकर कब्र तक विद्यमान है" – वाल्डो (बुक :- एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट–1948)

3. <u>एकता, अखण्डता व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना</u> :–

यद्यपि सीमा पर रक्षा का कार्य सैनिक प्रशासन का है किन्तु शान्ति काल में सीमाओं की रक्षा, राष्ट्र की आन्तरिक अखण्डता, शान्ति व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द व समरसता बनाए रखने का दायित्व लोक प्रशासन का ही है ।

4. <u>लोकतंत्र का वाहक व रक्षक</u> :– आम व्यक्तियों तक शासकीय कार्यों की पहुँच सुनिश्चित करना, निष्पक्ष चुनाव करना, जन–शिकायतों का निवारण, राजनैतिक चेतना में वृद्धि करना, विभिन्न विकास कार्यों में जनसहभागिता सुनिश्चित करना लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है ।

5. <u>सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में</u> –

I. <u>सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में</u> :– विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज आदि कुरीतियों का समाधान प्रशासन द्वारा निर्मित सामाजिक नीतियों, सामाजिक नियमों के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया जाता है ।

II. <u>आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में</u> :– देश में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी, समाजवाद–पूँजीवाद में सामंजस्य, आर्थिक संसाधनों का सही दिशा में प्रयोग करना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य किए जाते है ।

6. <u>सभ्यता, संस्कृति व कला के संरक्षणकर्ता के रूप में</u> :– लोक प्रशासन द्वारा प्रत्येक राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता व विरासत का संरक्षण, चित्रकला, वास्तुकला व संगीतकला का संरक्षण व विकास व देश के गौरवशाली मूल्यों का संरक्षण किया जाता है।

7. <u>विधि व न्याय प्रदान करना</u> :– लोक प्रशासन का कर्त्तव्य है कि –

I. संविधान द्वारा निर्मित कानून, नियम, नीतियों व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राजकीय कार्यों का संचालन करना ।

II. विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दण्डित करवाना ।

III. न्यायपालिका के निर्णयों की पालना सुनिश्चित करना ।

8. <u>आजीविका का माध्यम</u> :–

- अधिकतर देशों में कार्यशील जनसंख्या का एक बडा हिस्सा राजकीय सेवाओं में कार्य करता है ।
- एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड, USA में 18%, फ्रांस में 33% व स्वीडन में 38% लोग राजकीय सेवाओं में कार्यरत है ।

9. <u>लोक प्रशासन अध्ययन के विषय के रूप में</u> :–

- लोक प्रशासन के अध्ययन से शैक्षणिक ज्ञान के साथ–साथ प्रशासन की एक समझ विकसित होती है ।
- दूसरी ओर इसका अध्ययन करने वालों में अच्छे नागरिक बनने के गुणों का विकास होता है ।

विल्सन के अनुसार – "लोक प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है ।"
डोनहम के अनुसार – "वर्तमान सभ्यता की असफलता, प्रशासन की असफलता है।"
एपलबी के अनुसार – "प्रशासन के बिना सरकार मात्र परिचर्चा क्लब है ।"

लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि के कारण (कार्यक्षेत्र में) :-

1. "पुलिस राज्य" के स्थान पर 'लोक कल्याणकारी' राज्य की अवधारणा का उद्भव
2. जनसंख्या वृद्धि
3. पर्यावरणीय निम्नीकरण (अकाल, सूखा, बाढ, ग्लोबल वार्मिंग आदि)
4. वर्ग संघर्ष
5. साम्प्रदायिक दंगे, जातीय हिंसा आदि
6. नस्ल भेद
7. साइबर क्राइम
8. औद्योगिक क्रान्ति
9. आतंकवाद
10. नक्सलवाद

LPG (1990) के बाद लोक प्रशासन का बदलता स्वरूप

1. राज्य का "पश्च बेलन सिद्धान्त" तथा "गैर-नौकरशाहीकरण" (Golden Handshake Scheme) पर बल दिया ।
2. लोक प्रशासन नियंत्रणकर्ता के स्थान पर प्रोत्साहनकर्ता बन गया है ।
3. प्रशासन में 3E का समावेश हुआ ।
4. लोक प्रशासन में जनसम्पर्क और जनसहभागिता पर बल दिया गया ।
5. नागरिक अधिकार पत्र, RTI, सामाजिक अंकेक्षण (Social Auditing), उपभोक्ता संरक्षण जैसे नवाचार ।
6. प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का बढता प्रयोग (E-governance) ।
7. प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण में World Bank, IMF, UNO आदि की भूमिका में वृद्धि ।

विकासशील व विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका

विकसित देशों के प्रशासन की विशेषताएँ :

1. विकेन्द्रीकृत प्रशासन
2. राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता
3. पारदर्शिता युक्त, जवाबदेही व उत्तरदायी प्रशासन (TAR)
4. पेशेवर नौकरशाही
5. जनसहभागिता युक्त प्रशासन
6. प्रशासनिक संरचना तार्किक व स्वतंत्र

विकासशील देशों के प्रशासन की विशेषताएँ :-

1. प्रशासन में भ्रष्टाचार व लालफीताशाही
2. प्रशासन औपनिवेशिक विरासत
3. जनसहभागिता की कमी
4. प्रशासन में प्रतिबद्धता का अभाव
5. संक्रमणकालीन प्रशासनिक व्यवस्था
6. अकर्मण्यता व रूढिवादिता

प्रशासन की भूमिका :-

1. सरकार के उद्देश्य प्राप्त करने का साधन
2. जनकल्याण का माध्यम
3. एकता, अखण्डता व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना
4. लोकतंत्र का वाहक व रक्षक
5. सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में
6. सभ्यता, संस्कृति व कला के संरक्षणकर्ता के रूप में
7. विधि व न्याय प्रदान करना
8. आजीविका का माध्यम